न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :— 226 / 2024

1. दयानन्द पुत्र खेमचन्द
2. श्रीमति नाराणी स्त्री खेमचन्द
3. सुमिता स्त्री
4. विक्रम कुमार
5. विरेन्द्र कुमार

(3–5) स्व. मोहरसिंह

जाति समस्त जाट निवासीगण ग्राम बास बजावा (बजावा रावत का) तहसील गुढगौड़जी जिला झुंझुनूं

— आवेदकगण

बनाम

1. फुलचन्द पुत्र श्योकरण
2. भगवानाराम
3. ताराचन्द

(2–3) पुत्रगण श्योकरण

4. शीशराम
5. बलबीर

(4–5) पुत्र रामनाथ

6. हरिसिंह पुत्र रामेश्वर

(1–6) जाति जाट निवासीगण ग्राम बास बजावा (बजावा रावत का) तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

7. राहुल पुत्र रूकमणी एवं महेन्द्र सिंह
8. पिंकी पुत्री रूकमणी एवं महेन्द्र सिंह
9. उपपंजीयक गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
10. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
11. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बडागांव तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
12. झुंझुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा सायंकालीन झुंझुनूं जरिये प्रबंधक

— अनावेदकगण

वकील आवेदकगण :— राजेश पुनियां
वकील अनावेदकगण :— विजयपाल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 08.09.2025

संक्षेप मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बास बजावा तहसील गुढागौड़जी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 351 रकबा 3.21 है0, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.76 है0, खसरा नम्बर 86 रकबा 2.88 है0 व खसरा नम्बर 88 रकबा 2.67 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त जमीन गत खसरा नम्बर 55, खसरा नम्बर 65/4 व 65/6, खसरा नम्बर 84, खसरा नम्बर 85, खसरा नम्बर 86/1, खसरा नम्बर 82 व खसरा नम्बर 86/2 से बने है। उक्त वर्णित भूमि का पहले खातेदार श्योकरण पुत्र गोपा जाति जाट निवासी ग्राम बास बजावा (बजावा रावत का) था। उक्त

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

श्योकरण का सन् 1995 में देहान्त हो चुका है। उक्त श्योकरण की वंशावली वादपत्र की धारा 3 में वर्णित है। श्योकरण के कुल 6 पुत्र रामनाथ, रामेश्वर, खेमचन्द, भगवानाराम, फुलचन्द व ताराचन्द पैदा हुए। श्योकरण के देहान्त होने के बाद उक्त विवादित आराजी उपरोक्त छः पुत्रों को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। इस प्रकार उक्त आराजी में श्योकरण के प्रत्येक पुत्र का 1/6 हक हिस्सा हुआ एवं इसी मुताबिक काबिज काश्त हुए। श्योकरण के पुत्र रामनाथ का देहान्त हो चुका है। अनावेदक संख्या 4 व 5 उक्त रामनाथ के पुत्र है। रामनाथ का विवादित आराजी में 1/6 हक हिस्सा था। रामनाथ के देहान्त होने के बाद उसके 1/6 हक हिस्से की जमीन उत्तराधिकार में संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर अनावेदक नम्बर 4 व 5 को प्राप्त हुई। श्योकरण के पुत्र रामेश्वर का भी देहान्त हो चुका है। अनावेदक संख्या 6 उक्त रामेश्वर का पुत्र है तथा रामेश्वर की पुत्री रूकमणी का देहान्त हो चुका है। अनावेदक संख्या 7 व 8 उक्त रूकमणी के वारिस है। रामेश्वर के देहान्त होने के बाद विवादित आराजी में उक्त रामेश्वर के 1/6 हक हिस्सा जमीन उत्तराधिकार में उसके पुत्र हरिसिंह व पुत्री रूकमणी को प्राप्त हुई। इस प्रकार हरिसिंह व रूकमणी प्रत्येक का उक्त जमीन में 1/12 हक हिस्सा हुआ। रूकमणी के 1/12 हक हिस्सा की जमीन उत्तराधिकार में अनावेदक नम्बर 7 व 8 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जमीन वर्णित धारा 2 में अनावेदक संख्या 7 व 8 प्रत्येक का 1/24 हक हिस्सा हुआ। श्योकरण के पुत्र खेमचन्द का भी सन् 2001 में देहान्त हो चुका है। उक्त खेमचन्द के दो पुत्र आवेदक दयानन्द व मोहरसिंह पैदा हुए। उक्त खेमचन्द्र के देहान्त होने के उसके 1/6 हक हिस्से की जमीन उत्तराधिकार में आवेदक दयानन्द व आवेदिका नारायणी स्त्री खेमचन्द व पुत्र मोहरसिंह को प्राप्त हुई व प्रत्येक को 1/18 हक हिस्सा हुआ। मोहर सिंह पुत्र खेमचन्द का देहान्त हो चुका हैं आवेदक नम्बर 3 से 5 उक्त मोहरसिंह के वारिस है। इस प्रकार आवेदक संख्या 2 से 5 प्रत्येक का उक्त जमीन में 1/54 हक हिस्सा हुआ। श्योकरण के देहान्त बाद प्रार्थना पत्र बाबत् विरासतन नामान्तरकरण संख्या 261 ग्राम बास बजावा सरपंच ग्राम पंचायत बास बजावा द्वारा दिनांक 13.06.1995 को स्वीकार किया गया। नामान्तरकरण संख्या 261 बिना श्योकरण के जायज वारिसान की सम्पूर्ण जांच के गलत रूप से स्वीकृत किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 261 पर श्योकरण की जायज वारिसान की वंश वंशावली दर्ज कर रखी है। जिसमें आवेदक के पिता खेमचन्द के बारे में कुछ भी अंकन नहीं है। उक्त श्योकरण के कुल 6 पुत्र पैदा हुए जिनमें नामान्तरकरण संख्या 261 में आवेदक संख्या 1 के पिता के बारे में कोई अंकन नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 261 स्वीकृत के समय आवेदक नम्बर 1 का पिता जीवित था। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 261 एवं इसके आधार पर अनावेदकगण के नाम दर्ज समस्त राजस्व रिकॉर्ड आवेदकगण के हक हकूक के विरूद्ध शून्य व निष्प्रभावी है। उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्ती बाबत् आवेदकगण ने अनावेदकगण को कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने आजकल–आजकल करके काफी समय निकाल दिया आखिरकार दिनांक 25.12.2023 को जमीन के गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में विक्रय करने, रहन रखने, कब्जा करने की नियत से निर्माण करने, पेड काटने व आवेदक के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने की धमकी दी तब आवेदक को अपने हकूक की रक्षार्थ बाबत् माननीय न्यायालय के समक्ष दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। अंत में आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम बास बजावा तहसील

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

गौड़जी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 351 रकबा 3.21 है0, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.
है0, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.76 है0, खसरा नम्बर 86 रकबा
2.88 है0 व खसरा नम्बर 88 रकबा 2.67 है0 भूमि में विक्रय, रहन, दान आदि नहीं करे तथा
आवेदकगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा व दखलदांजी नहीं करें, तादौराने वाद निर्णय
एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी
कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो,
निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया।
अनावेदक संख्या 9 से 12 औपचारिक पक्षकार हैं। अनावेदक संख्या 1 लगायत 8 की ओर से
एडवोकेट विजयपाल द्वारा वकालतनामा पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात् पेश किया गया।
जबाव प्रार्थना पत्र के अनुसार कथन किया गया है कि यह कहना गलत है कि जमीन वर्णित धारा 2
प्रार्थना पत्र का पहले खातेदार श्योकरण था। श्योकरण उक्त खेमचन्द का जाईन्दा पिता था।
श्योकरण के जीवनकाल में ही खेमचन्द्र मौजीराम के गोद चला गया था। खेमचन्द उक्त मौजीराम
का दत्तक पुत्र है। इस प्रकार आवेदकगण ने मद संख्या 3 में वंशावली गलत दर्ज की है। जमीन
गत खसरा नम्बर 55 तादादी 13 बीघा 10 विश्वा हाल खसरा नम्बर 351 रकबा 3.21 है0 व 352
रकबा 0.20 है0 का टिनेन्ट पहले श्योकरण वल्द गोपाल कौम जाट साकिन बजावा रहा। जमीन गत
खसरा नम्बर 54 रकबा 3 विश्वा, जमीन गत खसरा नम्बर 65/4 रकबा 3 बीघा 15 विश्वा, गत
खसरा नम्बर 65/6 रकबा 4 बिश्वा, गत खसरा नम्बर 82 रकबा 5 बीघा 12 विश्वा गत खसरा
नम्बर 86/2 रकबा 5 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 14 विश्वा हाल खसरा नम्बर 84, 85
एवं 88 रकबा क्रमशः 0.24 है0, 0.76 है0 व 2.67 है0 श्रीमति चन्दनी पत्नी सत्यनारायण के कब्जे
काश्त व खातेदारी की रही है और उक्त चन्दनी को उक्त भूमि खातेदार पोकरराम के द्वारा पंजीकृत
दान के मार्फत दी गई थी। उक्त श्रीमति चन्दनी से उक्त भूमि उचित प्रतिफल के बदले कब्जे सहित
अनावेदक संख्या 4 व 5 के पिता रामनाथ तथा अनावेदक संख्या 6 के पिता रामेश्वर व अनावेदक
संख्या 1 से 3 ने पंजीकृत विक्रय विलेख के मार्फत दिनांक 01.12.1976 को क्रय की थी। इस प्रकार
आवेदकगण ने श्योकरण की वंशावली व खातेदारी गलत दर्ज की है। खेमचन्द श्योकरण का जाईन्दा
पुत्र है परन्तु मौजीराम के गोद जाने के कारण श्योकरण का उत्तराधिकारी नहीं है। यह कहना गलत
है कि उक्त श्योकरण के देहान्त के बाद जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र उत्तराधिकार में उक्त
श्योकरण के उपरोक्त छः पुत्रों को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। यह कहना गलत है कि इस प्रकार
जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र में उक्त श्योकरण के प्रत्येक पुत्र का 1/6 हिस्सा हुआ एवं इसी
मुताबिक काबिज काश्त हुये। धारा 5 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से दर्ज है स्वीकार नहीं है। खेमचन्द
व उसके पुत्र मोहर सिंह का देहान्त होना भी विवादित नहीं है। रामनाथ, रामेश्वर, रूकमणी का
देहान्त होने का भी कोई विवाद नहीं है। प्रार्थना पत्र की धारा 6 जिस प्रकार से दर्ज है स्वीकार नहीं
है। यह कहना गलत है कि नामान्तरकरण संख्या 261 बिना श्योकरण के जायज वारिसान की
सम्पूर्ण जांच के गलत रूप से स्वीकृत किया गया। आवेदक का पिता खेमचन्द विरासत विरासत
नामान्तरकरण के रोज श्योकरण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत् उत्तराधिकारी नहीं
था। इस कारण उक्त नामान्तरकरण पर खेमचन्द्र का नाम अंकन करने की आवश्यकता नहीं था।

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

कहना गलत है कि इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 261 एवं उसके आधार पर अनावेदकगण के
दर्ज समस्त राजस्व रिकॉर्ड आवेदकगण के हक हकूकों के विरूद्ध शुन्य व निष्प्रभावी है। इस
मद में दर्ज शेष तथ्यों के जबाव की आवश्यकता नहीं है। आवेदकगण की तरफ से यह एक स्वीकृत
तथ्य है कि श्योकरण की मृत्यु होने पर जो विरासत नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ उस वक्त आवेदक
संख्या 1 के पिता खेमचन्द जीवित था। खेमचन्द ने अपने जीवनकाल में श्योकरण की भूमि में
उत्तराधिकार के आधार पर खातेदारी अधिकार क्लेम नहीं किये हैं। श्योकरण का देहान्त सन् 2001
में होना आवेदकगण ने प्लीड किया है। इससे यह साबित होता है कि श्योकरण के देहान्त होने पर
विरासत के आधार पर स्वीकृत हुआ। नामान्तरकरण खेमचन्द की जानकारी व सहमति से स्वीकृत
हुआ है। प्रार्थना पत्र की धारा 7 व 8 जिस प्रकार से दर्ज है स्वीकार नहीं है। दावा दायरी के रोज
तथा पहले व बाद में जमीन जैर बहस पर आवेदकगण अथवा खेमचन्द व मोहरसिंह का कभी भी
भौतिक कब्जा काश्त नहीं रहा है। कब्जा काश्त के अनुतोष नहीं चाहा गया है। कब्जे के अभाव में
घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पोषणीय नहीं है। आवेदकगण की तरफ से यह एक स्वीकृत
तथ्य है कि श्योकरण का देहान्त सन् 1995 में व खेमचन्द का देहान्त सन् 2001 में हुआ। श्योकरण
के पुत्र रामनाथ व रामेश्वर का देहान्त हो चुका है और विरासत के आधार पर उनके वारिसान के
नाम नामान्तरकरण दर्ज हो चुका है। आवेदकगण के पूर्वज रामनाथ ने अपने जीवनकाल में जमीन
जैर बहस को क्लेम नहीं किया और ना कभी राजस्व रिकॉर्ड को चुनौती दी है। रामनाथ की मृत्यु
होने से भी अन्दर मियाद 12 वर्ष आवेदकगण ने जमीन जैर बहस को क्लेम नहीं किया। इस प्रकार
आवेदकगण लगातार जमीन जैर बहस पर अनावेदक संख्या 1 से 8 व उनके पूर्वजों का कब्जा
काश्त निरन्तर देखते आ रहे हैं। अन्दर मियाद 12 वर्ष आवेदकगण ने व उनके पूर्वज खेमचन्द ने
बेदखली का दावा नहीं किया है। इस प्रकार आवेदकगण की प्लीडिंग को सही माना जाने की सुरत
में भी दफा 63(4) आरटी एक्ट 1955 के तहत् आवेदकगण के खातेदारी अधिकारी Extinguished हो
चुके है। खेमचन्द ने अपने जीवनकाल में श्योकरण का उत्तराधिकारी कथित कर जमीन को क्लेम
नहीं किया। मौजीराम की मृत्यु होने पर उत्तराधिकार के आधार पर उसके दत्तक पुत्र खेमचन्द को
जमीन मिली। खेमचन्द की मृत्यु होने पर आवेदकगण के हक में विरासत नामान्तरकरण हुआ।
खेमचन्द की मृत्यु होने से अन्दर मियाद 12 वर्ष आवेदकगण ने भी जमीन जैर बहस कोई क्लेम नहीं
किया। इस प्रकार आवेदकगण का दावा मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अन्त में अनावेदक
संख्या 1 से 8 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि
वाद आवेदकगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39
नियम 4 सीपीसी व जबाव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 शामिल मिसल है।

जवाब देही पूर्ण होने पर वकील पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4
सीपीसी पर बहस न करके पत्रांवली पर अन्तरिम बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। दौराने बहस
अधिवक्ता अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 8 ने जबाव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यों को
दोहराया एवं कथन किया कि खेमचन्द पुत्र मौजीराम से विरासत में भूमि आवेदकगण को मिली है।
आवेदकगण को उपरोक्त तथ्यों की जानकारी होते हुए आवेदकगण ने शपथ पत्र में मिथ्या कथन कर
एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित करवाया है। खेमचन्द ने दिनांक 17.12.1975 को
एक दावा पेश किया जिसको दिनांक 29.06.1977 को विड्रॉ करवाया गया, उक्त दावा में वादी

सहायक कलक्टर
सांदुर (राज.)

...चन्द दत्तक पुत्र मौजीराम दर्ज है। श्योकरण का देहान्त सन् 1995 में हुआ। सन् 1995 से 2024 ...बीच में वादीगण कहां थे, उन्होंने इस बीच कोई विवादित आराजी में हिस्सा नहीं मांगा। खेमचन्द पुत्र मौजीराम की मृत्यु होने पर आवेदकगण के हक में नामान्तकरण संख्या 470 दिनांक 20.07.2001 को स्वीकृत हुआ। आराजी हाल खसरा नम्बर 84, 85 व 88 जिसके गत खसरा नम्बर 65/4, 65/6, 82 व 86/2 रहे हैं। उक्त आराजी रामनाथ, रामेश्वरदयाल व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पंजीकृत विक्रय विलेख के मार्फत सन् 1976 में खरीदी गई भूमि है। उक्त विक्रय पत्र में आवेदकगण के पूर्वज खेमचन्द दत्तक पुत्र मौजीराम साक्षी रहे। इस प्रकार आवेदकगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सम्पूर्ण भूमि को श्योकरण की कब्जे काश्त व खातेदारी की कथित कर और अपने आप को श्योकरण के उत्तराधिकारी बताकर मिथ्या कथन कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित करवाया है जो कि अपास्त होने योग्य है। खेमचन्द ने अपने जीवनकाल में श्योकरण का उत्तराधिकारी कथित कर जमीन को क्लेम नहीं किया। मौजीराम की मृत्यु होने पर उत्तराधिकार के आधार पर उसके दत्तक पुत्र खेमचन्द को जमीन मिली। खेमचन्द की मृत्यु होने पर आवेदकगण के हक में विरासत नामान्तरकरण हुआ। खेमचन्द की मृत्यु होने से अन्दर मियाद 12 वर्ष आवेदकगण ने भी जमीन जैर बहस कोई क्लेम नहीं किया। इस प्रकार आवेदकगण का दावा मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अन्त में अनावेदकगण द्वारा कथन किया कि आवेदकगण मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र लेकर आये हैं जिसे प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति नहीं हो रही है बल्कि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 8 को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे से खारिज करने की कृपा करें। इस संबंध में अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 8 के अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित दृष्टांत पेश किए।

1. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर RRT 2002 (1) के पेज नम्बर 589 से 592 रिविजन नं. 82 उनवान हीरालाल बनाम मोतीलाल वगैरह निर्णय दिनांक 01.11.2001
2. AIR 2008 SUPREME COURT के पेज नम्बर 2291 से 2296 उनवान मान्डी मादलप्पा बनाम रामाचन्द्रा वगैरह

वकील अनावेदकगण के बहस के जवाब में वकील आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कथन किया गया कि यह सरासर गलत एवं झुठ है कि आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में तात्विक विशिष्टी के संबंध में जानते हुए मिथ्या कथन कर आदेश दिनांक 05. 03.2024 को पारित करवाया हो। यह गलत है कि खेमचन्द मौजीराम के गोद गया हो या मौजीराम का वारिश हुआ हो। यह भी गलत है कि खेमचन्द को मौजीराम की जमीन कभी विरासत में मिली हो। नामान्तकरण संख्या 470 में खेमचन्द के पिता का नाम मौजीराम संहवन से गलत लिखा है जबकि खेमचन्द के पिता का नाम श्योकरण था। खेमचन्द को मौजीराम की जमीन कभी भी विरासत में नहीं मिली तथा ना ही खेमचन्द के पक्ष में कोई गोदपत्र पंजीबद्ध हुआ। बहस के दौरान अधिवक्ता आवेदकगण ने कथन किया कि अगर अनावेदकगण को कोई आपत्ति है तो उन्होंने आदिनांक तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर दावा खारिज करने के प्रार्थना पेश करना चाहिए था। अन्त में वकील आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि अनावेदकगण को अस्थाई निषेधांज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि में विक्रय, रहन, दान

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

आदि नहीं करे तथा आवेदकगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा व दखलदांजी नहीं करें, दौराने वाद निर्णय एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। मूल वाद के निस्तारण तक मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने से दोनो पक्षों के हक हकुक पर कोई विपरित असर नहीं पड़ेगा। बल्कि वादग्रस्त भूमि के खुर्द बुर्द होने से वाद में ओर जटिलता होने की पूर्ण संभावना रहती है। उक्त तथ्यों के मध्यजनर मूल वाद में जटिलता ना हो और दोनो पक्षो में शांति बनी रहे इसके लिए मूल वाद के निस्तारण तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाने में कोई प्रतिकुलता दृष्टिगोचर नहीं होती है। जहां तक प्रश्न वादग्रस्त भूमि के हक हिस्सा होने अथवा नहीं होने का है, उसका विचारण मूल वाद में किया जाना है। मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति भूमि के स्वामित्व होने या नहीं होने का निर्धारण नहीं करती। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के मध्यनजर यह न्यायालय इस बात से सहमत है कि मूल वाद के निस्तारण तक मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए ताकि मूल वाद के निस्तारण में ओर जटिलता पैदा ना हो। इसलिये मूल वाद के निस्तारण तक अनावेदकगण वादग्रस्त भूमि वाके राजस्व ग्राम बास बजावा तहसील गुढागौड़जी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 351 रकबा 3.21 है0, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.76 है0, खसरा नम्बर 86 रकबा 2.88 है0 व खसरा नम्बर 88 रकबा 2.67 है0 भूमि को दौराने दावा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुंझुनूं

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)